[illegible] हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/2023	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-5 से 8 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 9 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 9 से 38 को न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 9 से 38 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 9 से 38 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या-5 से 8 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-5 से 8 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-5 से 8 के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर विवाद रहता है मौके पर पुराने मेंड माड आज भी विद्यमान है जिसपर विप्रार्थी संख्या-5 से 8 का कब्जा काश्त है परन्तु तरमीम गलत हो रखी है जिस हेतु विप्रार्थी संख्या-5 से 8 के द्वारा तरमीम शुद्धि हेतु अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन श्रीमान के न्यायालय में राजस्व केस नं.-26/23 अनवार-पदमाराम बनाम भेराराम वगैरा पेश कर रखा है।	

(रिंकु धाका)
सहायक कलक्टर (SDO)
[illegible]
जिला – [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	जो न्यायालय के विचाराधीन है तथा स्थगन भी मौके की यथास्थिति का प्राप्त कर रखा है प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-5 से 8 के द्वारा मूल खसरे के ले जमीन खरीद की हुई है। जबतक तरमीम दुरस्ती के दावेदन का निस्तारण नहीं होता है तबतक उक्त नेयमबंदी दावेदन को रोका जावे। जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगणों द्वारा तरमीम दुरस्ती का दावेदन पेश कर रखा है जिसमें विप्रार्थीगणों को कोई सफलता मिलने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने खेत का बंटवारा कोर्ट द्वारा करवाया जाकर कोर्ट आदेश अनुसार तरमीम करवाई गई है इसके उपरान्त भी तरमीम दुरस्त होती भी है तो खसरे पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रार्थी का दावेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबंदी आदेश किया जावे।
	हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली के संलग्न रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया गया की तरमीम दुरस्त होने पर भी खसरे पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
	अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जाटाडू को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेयमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रा-

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। [illegible] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला — बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : वाद / 2023 / 1219 दिनांक : 31/10/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
लिखमाराम पुत्र वगताराम जाति जाट, निवासी बांढा तालर तहसील बायतु वर्तमान तहसील बाटाडू		दुर्गाराम पुत्र दीपाराम वगैरा 38 जातियान भाट, निवासी चवा नाडा तहसील बायतु वर्तमान तहसील बाटाडू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 06 / 2023

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवा नाडा, पटवार हल्का कोसरीया तहसील बायतु वर्तमान तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 364 / 79 रकबा 10.1126 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु / बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 1000 / –जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर
बायतु
जिला – बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2023 / 1220-1224 दिनांक : 31/10/2023

प्रतिलिपि–निम्न को **सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु, वर्तमान तहसील बाटाडू
2. पटवार हल्का कोसरीया तहसील बायतु वर्तमान तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रह कर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लिखमाराम पुत्र वगताराम
4. विप्रार्थी दुर्गाराम पुत्र दीपाराम वगैरा 38
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / बाटाडू

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर